न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 109/21 सन् 2021
आरसीएमएस संख्या 2021/280

बउनवानी :– 1. छोटेलाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहामण निवासी बिचपुरी तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति ब्राहामण निवासी बिचपुरी तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
2. श्री रतन लाल योगी उपजिला कलेक्टर बामनवास

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपजिला कलेक्टर बामनवास मे जैरकार प्रकरण सख्या 02/2021 उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर प्रा0पत्र 145 सीआरपीसी, अन्तर्गत धारा 410,411सीआरपीसी)

उपस्थितः 1. श्री संदीप शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री अभय कुमार गुप्ता — वकील अप्रार्थी–1

–: निर्णय :– दिनांक 16.11.2021

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर बामनवास में विचाराधीन प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीस सख्या 02/2021 एवं उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 410,411 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में अंकित आराजीयात को रिसीवर मे लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे जॉच के लिये माननीय एसडीओ बामनवास द्वारा थानाधिकारी बामनवास को प्रेषित कर दिया गया जिसपर थानाधिकारी द्वारा थाने पर ही समस्त कार्यवाही सम्पादित कर दिनांक 28.7.2021 को क्रमांक 2074 से हस्तगत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145,146(ए) सीआरपीसी के तहत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के न्यायालय मे दिनांक 30.7.2021 को पेश किया गया उक्त प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.10.2021 नियत की गयी है। नियत तारीख पेशी पर प्रार्थी ने तहत न्यायालय जाकर मालूम किया कि इस प्रकरण में थानाधिकारी बामनवास ने क्या इस्तगासा पेश किया है तथा न्यायालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही सम्पादित की गयी है की नकल की मांग की क्योकि जॉच उपरान्त ना तो थानाधिकारी ने प्रार्थी को तलब किया ओर ना ही न्यायालय से कोई नोटिस प्रार्थी को जारी हुआ है जबकि 146 सीआरपीसी मे इस्तगासे में अंकित सभी पक्षकारो को नोटिस जारी करने का मेण्डेटरी प्रोविजन है। इस पर माननीय उपजिला कलेक्टर महोदय ने कहॉ कि मे तो बिना नोटिस के रिसीवर नियुक्त करूंगा क्योकि थाने से सही इस्तगासा आया है इससे स्पष्ट है कि माननीय तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय प्रकरण में प्रार्थी को सुनना उचित नही समझते है। ना ही नकल दे रहे है। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद शेष नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021 छोटे लाल बनाम रामेश्वर प्रसाद वगै.)

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि तहत न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे विधिवत कार्यवाही की जा रही है मुताबिक आदेशिका दिनांक 30.7.2021 को प्रकरण न्यायालय दर्ज होकर वास्ते शपथ पत्र थानाधिकारी नियत था तथा आदेशिका दिनांक 24.9.2021 मे पक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी करने का आदेश दिये गये है इसके उपरान्त दिनांक 30.9.2021 को प्रार्थी छोटेलाल की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री विनोद कुमार शर्मा उपस्थित हुए है। तथा अप्रार्थी रामेश्वर प्रसाद की ओर से श्री योगश शर्मा न्यायालय मे उपस्थित हुए है। तथा दिनांक 8.10.2021 को तहत न्यायालय में छोटेलाल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण के स्थानान्तरण हेतु मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाबत तहत न्यायालय को अवगत कराया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 5.10.2021 को श्रीमान के न्यायालय मे मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मुताबिक आदेशिका तहत न्यायालय प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जा रहा है। किन्तु प्रार्थी प्रकरण मे देरी करने की गरज से निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर बामनास की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण उनके न्यायालय मे विधिवत कार्यवही की जा रही है गैर सायल अपने अधिवक्ता के साथ ही पेशी के दौरान न्यायालय समय मे ही आते है न्यायालय कक्ष मे बैठने के तथ्य गलत अंकित है। यदि फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो तहत न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है कि पुष्टि प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 30.7.2021 से 8.10.2021 की प्रति से हो जाती है जिसके अनुसार प्रकरण वास्ते बहस नियत था। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने की दृष्टि से झूंठे एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमे कोई सत्यता नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण किसी के दबाव या व्यवहार मे नही किया जाता है बल्कि साक्ष्य,सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की सुनवायी विधिवत तरीके से की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को लिखवाया [illegible] सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:49 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर